कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री गुप्ता पत्तल भण्डार, आगरा रोड, मैनपुरी।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**022 / 13, 08.05.2013**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री गुप्ता पत्तल भण्डार, आगरा रोड, मैनपुरी द्वारा दिनांक 08.05.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा हाथ से निर्मित तथा लकड़ी की स्टिक से सिली हुई दोना पत्तल तथा मशीन द्वारा प्रेस करके बनाये गये दोना व पत्तल पर करदेयता की स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 22.01.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इटावा जोन, इटावा द्वारा पत्र संख्या-411, दिनांक 14.06.2013 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि पत्ते के बने दोने व प्लेट (पत्तल) जो प्रेस व स्टिच न हो वह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के अनुसार करमुक्त रहेगा। इसकी प्रविष्टि क्रमांक-50 पर अंकित है। पत्ते के बने दोने व प्लेट (पत्तल) जो प्रेस व स्टिच हो वह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के अनुसार 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करयोग्य होगा। इसकी प्रविष्टि क्रमांक-72 पर अंकित है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इटावा जोन, इटावा की आख्या का समर्थन किया गया।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इटावा जोन, इटावा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-72 पर '' Leaf plates and cups-pressed or stitched '' की प्रविष्टि अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि पत्तों को सिलाई करके अथवा प्रेस करके जो कप व प्लेट्स बनाये जाते हैं उन पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी। शेष किसी भी अन्य प्रकार के पत्ते से निर्मित पत्तल व दोना उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-50 के अन्तर्गत करमुक्त रहेंगे।

....2

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 28 जनवरी, 2014

ह0 / 28.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।